भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 218

उत्तर देने की तारीख: 18.07.2022

स्कूलों में उपकरण संबंधी डेटा

†218. श्री जयदेव गल्ला:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2019-22 के बीच राज्यवार, वर्षवार, शहरी-ग्रामीणवार कितने सरकारी और निजी स्कूलों ने छात्रों को स्मार्टफोन प्रदान किया तथा कितने विद्यार्थियों ने स्मार्टफोन प्राप्त किया;

(ख) वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान सरकारी स्कूलों में राज्यवार, वर्षवार, शहरी-ग्रामीणवार कितने शिक्षकों ने छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाएँ संचालित की:

(ग) वर्ष 2019-20 के बाद से अब तक राज्यवार सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं में छात्रों के कितने माता-पिता के पास स्मार्टफोन है;

(घ) राज्यवार, वर्षवार, शहरी-ग्रामीणवार कितने सरकारी स्कूलों और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पास कंप्यूटर की सुविधा है; और

(ङ) वर्ष 2019-20 से अब तक सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाओं में राज्यवार, वर्षवार, शहरी-ग्रामीणवार कितनी उपस्थिति रही?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्यमंत्री

(श्रीमती अन्नपूर्णा देवी)

(क) से (ङ) : शिक्षा संविधान की समवर्ती सूची में है और अधिकांश स्कूल संबंधित राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के अधीन हैं।

सरकारी और निजी स्कूलों में छात्रों को प्रदान किए जाने वाले स्मार्ट फोन की संख्या, सरकारी स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने वाले शिक्षकों की संख्या और ऑनलाइन कक्षाओं की उपस्थिति का विवरण संबंधित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र की सरकार के पास उपलब्ध हो सकता है। केवीएस और एनवीएस में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने वाले शिक्षकों की संख्या से संबंधित विवरण और केवीएस और एनवीएस में ऑनलाइन कक्षाओं की उपस्थिति का विवरण अनुबंध-I से अनुबंध-III में है। सरकारी स्कूलों में प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के छात्रों के माता-पिता जिनके पास स्मार्टफोन है उनकी संख्या के बारे में डेटा व्यवहार्य नहीं हो सकता है।

हालांकि, देश के ग्रामीण और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जिलों में रहने वाले प्रत्येक छात्र हेतु निरंतर शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक बहु-आयामी दृष्टिकोण/सोच को अपनाया गया है।

आत्म निर्भर भारत अभियान के भाग के रूप में पीएम ई-विद्या नामक एक व्यापक पहल 17 मई, 2020 को शुरू की गई है, जो डिजिटल/ऑनलाइन/ऑन-एयर शिक्षा से संबंधित शिक्षा तक विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से पहुँच को सक्षम बनाने के लिए सभी प्रयासों को एकीकृत करती है। पहल में निम्नलिखित घटक शामिल हैं:

- दीक्षा-राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्कूली शिक्षा हेतु गुणवत्तापूर्ण ई-सामग्री प्रदान करने के लिए देश का डिजिटल बुनियादी ढांचा: और सभी ग्रेड (एक राष्ट्र, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म) के लिए क्यूआर कोड सक्रिय पाठ्यपुस्तकें।
- कक्षा 1 से 12 तक प्रति कक्षा एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल (एक कक्षा, एक चैनल)
- रेडियो, सामुदायिक रेडियो और सीबीएसई पॉडकास्ट - शिक्षा वाणी का व्यापक उपयोग
- डिजिटली एक्सेसिबल इंफॉर्मेशन सिस्टम (डीएआईएसवाई) और एनआईओएस वेबसाइट/यूट्यूब पर सांकेतिक भाषा में विकसित दृष्टिबाधित और श्रव्य बाधितों के लिए विशेष ई-कंटेंट

जहां डिजिटल सुविधा (मोबाइल डिवाइस/डीटीएच टेलीविजन) उपलब्ध नहीं है, वहां शिक्षा मंत्रालय ने सामुदायिक रेडियो स्टेशनों और सीबीएसई की शिक्षा वाणी नामक पॉडकास्ट, शिक्षार्थियों के आवास पर आपूर्ति की गई पाठ्यपुस्तकें एवं वर्कशीट, 21वीं सदी के कौशल पर हैंडबुक और समुदाय/मोहल्ला कक्षाएं आयोजित करने जैसी कई पहल की हैं।

विभाग की नवाचार निधि का उपयोग स्कूलों में मोबाइल स्कूल, वर्चुअल स्टूडियो, वर्चुअल क्लास रूम स्थापित करने के लिए किया जाता है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए सतत अधिगम योजना (सीएलपी) शुरू की गई है, विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में जहां ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन कठिन होता है, वहाँ प्री-लोडेड टैबलेट का उपयोग प्रभावी ढंग से किया जाता है।

इसके अतिरिक्त, कक्षा 1 से 12 तक के डिवाइस रहित एवं डिवाइस सहित दोनों श्रेणियों के बच्चों हेतु स्व-मूल्यांकन सहित अधिगम के समाधान हेतु एक वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर तैयार किया गया है। आरटीई अधिनियम, 2009 के प्रावधानों के तहत विशेष प्रशिक्षण केंद्रों (एसटीसी) में पढ़ रहे स्कूल से बाहर बच्चों के अधिगम अंतराल को कम करने के लिए ब्रिज कोर्स मॉड्यूल भी विकसित किए गए हैं। साथ ही, विभिन्न माध्यमों से सतत शिक्षा की सुविधा प्रदान करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को प्रज्ञता दिशा-निर्देश जारी किए गए थे। दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ ऐसी स्थिति शामिल है जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी उपलब्ध नहीं है या बहुत कम बैंडविड्थ के साथ उपलब्ध है, उस स्थिति में संसाधनों को टेलीविजन, रेडियो आदि जैसे विभिन्न प्लेटफार्मों के माध्यम से साझा किया जाता है जो इंटरनेट पर निर्भर नहीं हैं। इसी तरह, विद्यार्थी अधिगम अभिवृद्धि दिशा-निर्देशों को कोविड-19 के दौरान बच्चों के अधिगम में सहायता करने हेतु 2020 में जारी किया गया था। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए ई-कंटेंट बनाने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूल बंद होने के दौरान और उसके बाद घर-आधारित अधिगम में माता-पिता की भागीदारी के लिए दिशानिर्देश भी 2021 में जारी किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय ने कोविड के दौरान और उसके बाद छात्रों, शिक्षकों और परिवारों की मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक सहायता हेतु मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए 'मनोदर्पण' नामक विभिन्न गतिविधियों वाली एक सक्रिय पहल शुरू की है।

राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण (एनएएस) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिगम के परिणामों में अंतराल की पहचान करने और उपचारात्मक कदम उठाने हेतु सक्षम बनाने के लिए आयोजित किया जाता है। एनएएस 2021 का आयोजन 12 नवंबर 2021 को किया गया है।

केंद्र सरकार शिक्षा पर महामारी के प्रभाव को कम करने हेतु क्रियाकलापों के संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को दिशा-निर्देशों और बैठकों के माध्यम से लगातार सलाह दे रही है। अब तक जारी दिशा-निर्देश नीचे दिए गए हैं

क्रमां	क्रियाकलाप	दिशानिर्देश के लिंक
1	प्रवासी मजदूर के बच्चों के लिए दिशानिर्देश	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Migrant%20labour%20guideline.pdf
2	स्कूल से बाहर बच्चों और अधिगम हानि के पूरा करने हेतु दिशानिर्देश	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/guidelines_oosc.pdf
3	डिजिटल शिक्षा पर प्रज्ञता दिशा-निर्देश	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/pragyata-guidelines_0.pdf
4	सतत अधिगम हेतु अधिगम अभिवृद्धि दिशा-निर्देश	https://ncert.nic.in/pdf/announcement/Learning_%20Enhancement_Guidelines.pdf
5	कोविड-19 संबंधित स्वास्थ्य और सुरक्षा एसओपी/ स्कूल पुनः खोलने हेतु दिशा-निर्देश	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/SOP_Guidelines_for_reopening_schools.pdf
6	स्कूल शिक्षा हेतु कोविड एक्शन	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/Covid_Action_Plan.pdf

	प्लान	
7	वैकल्पिक अकादमिक कैलेंडर	https://ncert.nic.in/alternative-academic-calendar.php
8	जेएनवी आवासीय स्कूलों हेतु दिशा-निर्देश	https://drive.google.com/file/d/lLAc4iKQTqTJkNVDGc5glEDsrDGdAXwC8/view
9	घर आधारित शिक्षा में अभिभावकों हेतु दिशा-निर्देश	https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/MoE_Home_Learning_Guidelines.pdf
10	अनाथ बच्चों हेतु दिशा-निर्देश	In this regard, a joint DO letter No. 13-10/2021-IS-11 dated 16.06.2021 from Secretary DoSEL, MoE and Secretary, MWCD has been issued to all States and UTs.
11	सीडब्ल्यूएसएन हेतु ई-कंटेन्ट बनाने हेतु दिशा-निर्देश	https://dsel.education.gov.in/sites/default/files/2021-06/CWSN_E-Content_guidelines.pdf
12	सीबीएसई दक्षता आधारित मूल्यांकन फ्रेमवर्क	https://cbseacademic.nic.in/web_material/Manuals/Safal_handbook.pdf
13	टीईआई हेतु एनसीटीई के दिशा-निर्देश	https://ncte.gov.in/WebAdminFiles/RecentAnnouncement/0_20_08_2020_637335320672297662.pdf

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय ने 'डिजिटल शिक्षा पर भारत रिपोर्ट' तैयार की है जो देश भर में डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से डिजिटल और दूरस्थ अधिगम पहलों को दर्शाता है। रिपोर्ट का अवलोकन करने के लिए लिंक नीचे दिया गया है

डिजिटल शिक्षा 2020 पर भारत की रिपोर्ट

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/India_Report_Digital_Education_0.pdf

डिजिटल शिक्षा 2021 पर भारत की रिपोर्ट

https://www.education.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/irde_21.pdf

स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 2018-19 से स्कूली शिक्षा के लिए एक एकीकृत योजना-समग्र शिक्षा शुरू की है। यह 'स्कूल' को पूर्व-विद्यालय, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक एक सातत्यता के रूप में परिकल्पित करता है। यह प्री-स्कूल से लेकर बारहवीं कक्षा तक स्कूली शिक्षा क्षेत्र के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है और इसका उद्देश्य स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना है। समग्र शिक्षा सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित की जाती है और सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को स्कूलों में आईसीटी बुनियादी ढांचे को मजबूत करने सहित विभिन्न घटकों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। समग्र शिक्षा के तहत आईसीटी घटक में बजटीय प्रावधान की उपलब्धता के अधीन छठी से बारहवीं कक्षा तक के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों और शिक्षक शिक्षा संस्थानों (टीईआई) को शामिल करने की परिकल्पना की गई है।

क. **आईसीटी के तहत विकल्प**:

विकल्प I : इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले आईसीटी सुविधा का लाभ नहीं उठाया है, वे या तो अपनी आवश्यकता और जरूरतों के अनुसार आईसीटी या स्मार्ट कक्षाओं का विकल्प चुन सकते हैं। 700 से अधिक नामांकन के मामले में अतिरिक्त आईसीटी लैब पर भी विचार किया जा सकता है।

विकल्प II : इस विकल्प के तहत जिन स्कूलों ने पहले ही आईसीटी सुविधा का लाभ उठा रखा है, वे योजना के मानदंडों के अनुसार स्मार्ट क्लासरूम/टैबलेट का लाभ उठा सकते हैं।

ख. वित्तीय प्रावधान :

आईसीटी लैब : प्रति स्कूल 6.40 लाख रुपये तक का एकमुश्त अनावर्ती अनुदान और 2.40 लाख रुपये तक का प्रति स्कूल प्रति वर्ष 5 वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती अनुदान।

राज्य द्वारा परियोजना को लेने हेतु निधियों की प्रतिबद्धता जताने और स्कूल में सुविधा जारी रखने की शर्त पर गतिशीलता को सुचारू रखने के लिए छठे वर्ष के लिए आवर्ती अनुदान दिया जा सकता है।

स्मार्ट क्लासरूम : 2.40 लाख का एकमुश्त अनावर्ती अनुदान और प्रति स्कूल अधिकतम 2 स्मार्ट क्लास रूम हेतु रुपये 0.38 लाख (ई-कंटेंट एवं डिजिटल संसाधन, बिजली का प्रभार सहित) 5 वर्ष की अवधि के लिए आवर्ती अनुदान।

ग. **कवरेज** : आईसीटी घटक में छठी से बारहवीं तक की कक्षाओं वाले सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल शामिल हैं जो युवा ग्रेड से आईसीटी संसाधनों का उपयोग करने में सक्षम होंगे। 120614 स्कूलों में आईसीटी लैब को मंजूरी दी गई है और 82120 स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम को मंजूरी दी गई है 2019-20 से 2022-23 तक स्वीकृत आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-IV में है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले स्कूलों (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल) की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुबंध-V में है।

*****

अनुबंध-I

'स्कूलों में उपकरण संबंधी डेटा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जयदेव गल्ला द्वारा दिनांक **18.07.2022** के पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **218** के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

केवीएस में ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन करने वाले शिक्षकों की संख्या और केवीएस में ऑनलाइन कक्षाओं की उपस्थिति से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दर्शाने वाली जानकारी

क्रमांक	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**2019-20 और 2020-21 के दौरान ऑनलाइन क्लास लेने वाले सभी श्रेणी के शिक्षकों की संख्या**		**2019-20 और 2020-21 के दौरान विद्यार्थियों की उपस्थिति का प्रतिशत (सभी कक्षाओं का औसत)**	
		2019-20	**2020-21**	**2019-20**	**2020-21**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	91	0	95.00%
2	आंध्र प्रदेश	0	1069	0	84.7
3	अरुणाचल प्रदेश	0	391	0	84.21
4	असम	0	1693	0	79.61
5	बिहार	0	3210	0	87
6	चंडीगढ़	0	228	0	97.02
7	छत्तीसगढ़	0	1073	0	85.13
8	दमन एवं दीव	0	50	0	98.57
9	दिल्ली	0	3493	0	97.5
10	गोवा	0	163	0	96.8
11	गुजरात	0	1383	0	98.72
12	हरियाणा	0	1132	0	91.93
13	हिमाचल प्रदेश	0	608	0	98.66
14	जम्मू और कश्मीर	0	994	0	88.31

15	झारखंड	0	1113	0	80%
16	कर्नाटक	0	1737	0	96.92
17	केरल	0	1680	0	94
18	लद्दाख	0	54	0	97.33
19	लक्षद्वीप	0	28	0	94
20	मध्य प्रदेश	0	4799	0	88.21
21	महाराष्ट्र	0	2378	0	96.355
22	मणिपुर	0	241	0	90.77
23	मेघालय	0	167	0	65%
24	मिजोरम	0	175	0	66%
25	नागालैंड	0	111	0	84.66
26	ओडिशा	0	1414	0	98
27	पोंडीचेरी	0	142	0	92
28	पंजाब	0	1758	0	94.43
29	राजस्थान	0	2420	0	86.92
30	सिक्किम	0	47	0	85
31	तमिलनाडु	0	1716	0	98%
32	तेलंगाना	0	1186	0	89.71
33	त्रिपुरा	0	198	0	64%
34	उत्तर प्रदेश	0	5176	0	84%
35	उत्तराखंड	0	1524	0	99.28%
36	पश्चिम बंगाल	0	1949	0	86.9
	कुल	**0**	**45591**	**0**	**89.29**

नोट : वर्ष 2019-20 में सभी केवीएस में कक्षाएं वास्तविक रूप में संचालित की गई।

अनुबंध-II

'स्कूलों में उपकरण संबंधी डेटा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जयदेव गल्ला द्वारा दिनांक **18.07.2022** के पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **218** के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

एनवीएस में ऑनलाइन कक्षाएं संचालित करने वाले शिक्षकों की संख्या से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण दर्शाने वाली जानकारी

क्रमांक	**राज्य/संघ राज्य क्षेत्र**	**कुल शिक्षक (प्राचार्य और उप-प्राचार्य सहित) जिन्होंने ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की हैं**	
		2020-21	**2021-22**
1.	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह [संघ राज्य क्षेत्र]	27	37
2.	आंध्र प्रदेश	286	323
3.	अरुणाचल प्रदेश	198	216
4.	असम	540	591
5.	बिहार	743	796
6.	चंडीगढ़ [संघ राज्य क्षेत्र]	27	29
7.	छत्तीसगढ़	370	470
8.	दादरा एवं नागर हवेली एवं दमन और दीव [संघ राज्य क्षेत्र]	47	56
9.	दिल्ली [संघ राज्य क्षेत्र]	48	49
10	गोवा	35	42
11	गुजरात	467	575
12	हरियाणा	493	521
13	हिमाचल प्रदेश	252	277
14	जम्मू और कश्मीर [संघ राज्य क्षेत्र]	217	329
15	झारखंड	453	505
16	कर्नाटक	568	635

17	केरल	322	340
18	लद्दाख [संघ राज्य क्षेत्र]	27	45
19	लक्षद्वीप [संघ राज्य क्षेत्र]	12	16
20	मध्य प्रदेश	1079	1173
21	महाराष्ट्र	660	717
22	मणिपुर	234	237
23	मेघालय	132	168
24	मिजोरम	67	81
25	नागालैंड	107	140
26	ओडिशा	551	634
27	पौंडीचेरी [संघ राज्य क्षेत्र]	79	88
28	पंजाब	478	544
29	राजस्थान	780	836
30	सिक्किम	88	84
31	तेलंगाना	177	195
32	त्रिपुरा	78	118
33	उत्तर प्रदेश	1557	1650
34	उत्तराखंड	249	294
35	पश्चिम बंगाल	291	351
कुल		**11739**	**13162**

अनुबंध-III

'स्कूलों में उपकरण संबंधी डेटा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जयदेव गल्ला द्वारा दिनांक **18.07.2022** के पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **218** के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

एनवीएस में ऑनलाइन कक्षाओं की उपस्थिति से संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार विवरण दर्शाने वाली जानकारी

क्रमांक	**राज्य /संघ राज्य क्षेत्र**	**सत्र 2020 - 21**		**सत्र 2020 - 21**	
		विद्यार्थियों की कुल संख्या	**ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या**	**विद्यार्थियों की कुल संख्या**	**ऑनलाइन क्लास लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र)	712	672	793	757
2.	आंध्र प्रदेश	7168	6781	7102	6750
3.	अरुणाचल प्रदेश	5286	4751	5552	5066
4.	असम	12910	12084	13256	12505
5.	बिहार	18610	17265	18274	17051
6.	चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)	535	307	536	329
7.	छत्तीसगढ़	10529	9392	11287	10253
8.	दादरा एवं नागर हवेली और दमन एवं दीव (संघ राज्य क्षेत्र)	1203	1066	1224	1099

9.	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)	923	820	884	790
10.	गोवा	751	720	757	729
11.	गुजरात	12854	10706	13047	11094
12.	हरियाणा	10712	9986	10867	10207
13.	हिमाचल प्रदेश	5705	5284	5788	5405
14.	जम्मू और कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र)	6663	6223	6819	6419
15.	झारखंड	11777	10865	11713	10884
16.	कर्नाटक	14539	13779	15196	14505
17.	केरल	7227	7076	7282	7145
18.	लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र)	977	852	983	869
19.	लक्षद्वीप (संघ राज्य क्षेत्र)	143	140	169	166
20.	मध्य प्रदेश	26831	23823	27202	24467
21.	महाराष्ट्र	15827	14419	15361	14081
22.	मणिपुर	5171	4961	5316	5125
23.	मेघालय	3677	2955	4045	3389
24.	मिजोरम	1642	1584	1824	1771
25.	नागालैंड	2363	2169	2548	2372
26.	ओडिशा	14905	13402	15337	13971
27.	पोंडिचेरी (संघ राज्य क्षेत्र)	1763	1697	1824	1764

28.	पंजाब	11127	9705	11355	10062
29.	राजस्थान	18095	16097	18471	16655
30.	सिक्किम	1620	1408	1639	1446
31.	तेलंगाना	4415	4275	4517	4390
32.	त्रिपुरा	2520	2251	2758	2513
33.	उत्तर प्रदेश	35820	32246	35619	32370
34.	उत्तरखंड	6265	5760	6284	5825
35.	पश्चिम बंगाल	6702	6255	6984	6578
कुल		**287967**	**261775**	**292613**	**268802**

नोट : जवाहर नवोदय विद्यालयों में सत्र 2019-20 के दौरान वास्तविक रूप में कक्षाएं संचालित की गईं और सत्र 2020-21 के दौरान ऑनलाइन कक्षाएं संचालित की गई। वर्ष 2021-22 के दौरान अक्टूबर, 2021 तक ऑनलाइन मोड के माध्यम से कक्षाएं संचालित की गई और नवंबर, 2021 के महीने से वास्तविक रूप में कक्षाएं संचालित की जा रही हैं।

अनुबंध-IV

'स्कूलों में उपकरण संबंधी डेटा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जयदेव गल्ला द्वारा दिनांक **18.07.2022** के पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **218** के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

2019-20 से 2022-23 तक स्वीकृत आईसीटी प्रयोगशालाओं और स्मार्ट कक्षाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण दर्शाने वाली जानकारी

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	आईसीटी लैब				स्मार्ट क्लासरूम		
		2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2020-2021	2021-2022	2022-2023
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	0	9	2	8	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	296	445	917	710	0	1096	435
3	अरुणाचल प्रदेश	21	29	43	39	0	0	107
4	असम	264	628	1859	645	0	3643	240
5	बिहार	481	0	0	2454	0	2739	126
6	चंडीगढ़	0	0	2	0	0	89	95
7	छतीसगढ	0	0	67	0	2624	2714	0
8	दमन और दीव - दादर नगर हवेली	0	10	28	25	0	84	51
9	दिल्ली	0	0	0	7	78	895	45
10	गोवा	0	0	0	0	0	0	0

11	गुजरात	300	0	0	0	1815	4335	0
12	हरियाणा	0	0	232	113	1425	1154	342
13	हिमाचल प्रदेश	55	218	480	282	0	1632	616
14	जम्मू और कश्मीर	397	408	220	203	0	518	834
15	झारखंड	488	726	896	504	0	519	121
16	कर्नाटक	0	0	764	0	0	0	1768
17	केरल	0	0	0	0	0	115	257
18	लद्दाख	2	49	6	16	0	38	8
19	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	0	0	441	0	0	700	658
21	महाराष्ट्र	708	0	0	0	0	887	2405
22	मणिपुर	108	117	28	34	0	311	140
23	मेघालय	19	132	25	28	0	0	14
24	मिजोरम	0	63	0	62	0	201	28
25	नगालैंड	19	0	0	0	473	74	47
26	ओडिशा	715	0	302	0	384	4471	2119
27	पुदुचेरी	0	10	6	0		100	45
28	पंजाब	0	72	435	559		2872	649
29	राजस्थान	32	525	398	412	3290	5509	408
30	सिक्किम	17	4	82	0	0	238	32

31	तमिलनाडु	0	441	1893	2211	0	865	0
32	तेलंगाना	0	20	0	94	0	3010	0
33	त्रिपुरा	74	59	239	294	0	249	563
34	उत्तर प्रदेश	0	0	0	289	0	543	18444
35	उत्तराखंड	0	0	240	0	929	709	195
36	पश्चिम बंगाल	0	125	1173	0	0	0	0
	कुल	**3996**	**4090**	**10778**	**8989**	**11018**	**40310**	**30792**

स्रोत : प्रबंध

अनुबंध-V

'स्कूलों में उपकरण संबंधी डेटा' के संबंध में माननीय संसद सदस्य श्री जयदेव गल्ला द्वारा दिनांक **18.07.2022** के पूछे जाने वाले लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या **218** के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में उल्लेखित अनुबंध

डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर वाले ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में स्कूलों (सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल) की संख्या दर्शाने वाली जानकारी

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र					शहरी क्षेत्र				
		स्कूलों के कुल संख्या	आईसीटी लैब (छठी और उससे अधिक कक्षा वाले स्कूलों में)	एकीकृत शिक्षण अधिगम डिवाइस वाले पीसी	कम से कम 1 कंप्यूटर	डिजिटल बोर्ड	स्कूलों के कुल संख्या	आईसीटी लैब (छठी और उससे अधिक कक्षा वाले स्कूलों में)	एकीकृत शिक्षण अधिगम डिवाइस वाले पीसी	कम से कम 1 कंप्यूटर	डिजिटल बोर्ड
1	अंडमान	311	100	28	163	139	33	25	11	31	27
2	आंध्र प्रदेश	42196	398	2596	5862	629	5070	95	590	1192	223
3	अरुणाचल	2857	106	66	345	22	271	35	25	114	9
4	असम	49324	2986	815	4083	693	2408	565	158	798	133
5	बिहार	71795	746	180	1603	100	4495	195	73	456	39
6	चंडीगढ़	16	14	6	15	4	112	104	43	112	17
7	छत्तीसगढ	45717	1496	990	6459	821	3332	387	234	1107	191
8	दमन और	363	51	46	319	141	52	21	6	52	11
9	दिल्ली	143	44	28	143	8	2858	1145	873	2837	515
10	गोवा	1087	199	134	429	49	256	76	50	156	19
11	गुजरात	35911	4049	5185	2243	4846	4696	1346	1402	3757	1397
12	हरयाणा	13040	2723	775	3821	604	1540	335	124	504	202
13	हिमाचल	15021	2076	1319	3089	1485	370	113	85	136	66
14	जम्म् और	21433	1564	662	2900	1191	1735	281	142	479	223
15	झारखंड	35113	1006	543	1526	498	1950	250	144	452	121
16	कर्नाटक	46968	4627	2136	1095	2583	10005	1382	1087	4075	1139

17	केरल	9967	4291	1221	8474	1078	2244	1146	356	2031	301
18	लददाख	903	79	39	219	72	41	9	1	18	7
19	लक्षादवीप	45	20	26	43	19	0	0	0	0	0
20	मध्य प्रदेश	93656	311	302	3130	150	6269	185	200	1251	141
21	महाराष्ट्र	74029	6492	1304	4421	4635	15629	2920	5090	11965	2992
22	मणिप्र	3115	153	41	307	22	348	49	12	95	10
23	मेघालय	11230	289	158	1013	144	741	85	61	303	35
24	मिजोरम	2027	89	33	649	6	762	102	58	415	22
25	नगालैंड	1792	60	45	562	10	183	8	20	91	1
26	उड़ीसा	53055	3795	1449	5982	1479	3045	558	270	860	250
27	पुदचेरी	251	101	90	237	82	204	100	69	182	57
28	पंजाब	17506	5720	1737	1748	204	2279	899	1900	2155	84
29	राजस्थान	65299	1021	3254	1839	1565	3514	1042	391	1645	233
30	सिक्किम	841	177	100	461	68	29	11	7	19	7
31	तमिलनाड़	36813	5134	3851	1566	1050	9102	1580	1500	5293	769
32	तेलंगाना	25265	2040	2307	5263	288	5450	640	644	1876	146
33	त्रिपुरा	4005	250	45	364	36	303	34	24	120	22
34	उतार	13832	2403	938	6825	623	6871	734	292	1670	133
35	उत्तराखंड	16405	618	339	4436	158	860	134	67	432	37
36	पश्चिम	73139	5322	2046	8480	648	10327	1514	765	2446	229
	कुल	**10089**	**6974**	**6221**	**2063**	**2615**	**107384**	**18105**	**16774**	**49125**	**9808**

स्रोत : यूडीआईएसई 2020-21